न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : विनय पाठक, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2016

दायर दिनांक–18.05.2016
निर्णय दिनांक–28.03.2018

1. श्रीमती भुलकी बेवा पत्नि मानीया मीणा उम्र 60 वर्ष
2. श्री रकु पिता मानीया मीणा उम्र 35 वर्ष निवासियान पाडी तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नाथु पिता नानजी मीणा उम्र व्यस्क निवासी पाडी/सारंगी
2. श्रीमती कडूवा पत्नि नाथू मीणा उम्र व्यस्क निवासी पाडी/सारंगी, तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर राज.
3. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब आसपुर, तहसील एवं जिला डूंगरपुर राज.

....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत

–

उपस्थित :–

1. श्री लालसिंह चुण्डावत, अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री प्रवीण शुक्ला, अभिभाषक वास्ते विपक्षीगण संख्या 1 व 2
3. राजकीय पेरोकार तहसीलदार डूंगरपुर

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 श्री नाथू एवं श्रीमती कडूवा को मौजा पाडी की आराजी नम्बर 102 में से रकबा 3.07 तीन बीघा सात बिस्वा भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मि0 नं0 124/2006 दिनांक 17.02.2006 को आवंटित की गई, भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त/खारिज कराने हेतु उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होकर प्रार्थी संख्या 1 का पति एवं प्रार्थी संख्या 2 का पिता मानिया पिता पांचीया का सन् 1970 से तीन बीघा, दस बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान मे प्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

काबिज होकर काश्त करना बताते हुए अप्रार्थीगण संख्या– 1 व 2 के पक्ष मे मौजा पाडी की आराजी नम्बर 102 में से रकबा 3.07 तीन बीघा सात बिस्वा भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल संख्या 124/2006 दिनांक 17.02.2006 को आवंटित की गई, भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त/खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय मे दिनांक–26–10–2012 को पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 12/2012 मे उभय पक्षो की सुनवाई की जाकर दिनांक–07–02–2014 को निर्णय पारित किया गया, जिसमे अप्रार्थीगण सं0–1 व 2 के नाम से किया गया उक्त आवंटन को निरस्त करने के आदेश परित किये गये ।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 07–02–2014 से असन्तुष्ट होकर विपक्षीगण सं0– 1 व 2 श्री नाथू एवं श्रीमति कडूवा मीणा ने माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर के न्यायालय मे अपील दायर की गई । माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या– 01/2014 (डूंगरपुर ऑर्डर) मे पारित आदेश दिनांक–09–02–16 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 07–02–2014 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस आदेश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई कि पेश शुदा साक्ष्यो का उपयुक्त विश्लेषण कर एवं पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अजसरेनव निर्णय पारित करें ।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर से पत्रावली इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारो को वास्ते सुनवाई हेतु जरिये नोटीस के तलब किये गये ।

पत्रावली के साथ संलग्न उभय पक्षो की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय फरिकेन के समायत की गई ।

प्रार्थीगण के वकील ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया कि ग्राम पाडी की आराजी नंम्बर– 102 मे से रकबा 3.10 तीन बीघा दस बिस्वा भूमि प्रार्थीया सं0 के पति एवं प्रार्थी सं0 2 के पिता मानीया पिता पांचा को मि0 नं0 1046 के द्वारा दि0 28–12–1975 को आवंटन की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

गयी भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है । उक्त आराजी नम्बर–102 मे से रकबा 3.07 तीन बीघा, सात बिस्वा भूमि जरिये मि0 नं0– 124/06 के द्वारा दिनांक– 17–02–2006 को विपक्षीगण सं0– 1 व 2 के नाम आवंटन की गई है, लेकिन अप्रार्थीगण आवंटित भूमि पर मौके पर काबिज होकर के काश्त नही कर रहे है । पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच नही करके गलत रिपोर्ट पेश करने से अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन की गई । यदि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच करके रिपोर्ट पेश की होती तो अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन नही होता । प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2012 मे आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर वह मौके पर आये । प्रार्थीया सं0 1 को दिनांक– 17–02–2006 को रकबा 0.18 अठारह बिस्वा भूमि आवंटन हुई है जिस पर भी प्रार्थीया काबिज होकर के काश्त करती आ रही है। वकील प्रार्थीगण की ओर से अपनी ओर से बहस मे दी गई दलीलो की पुष्टि मे साईटेशन के रूप मे आर.आर.टी. 2015 पेज 1081 अपील नं0– 366/2011 निर्णय दिनांक– 21–07–2015 श्री जगदीश नारायण बनाम गोविन्दा, आर.आर.टी.2014(पार्ट–2), आर.आर.टी.2008 पार्ट–1 पेज 717, आर.आर.टी.2007 पार्ट–1 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया है कि एक बार जिस भूमि का आवंटन हो जाने पर उसी भूमि का आवंटन दुबारा नही हो सकता है । अतः अप्रार्थीगण संख्या– 1 व 2 के पक्ष मे मौजा पाडी की आराजी नम्बर 102 में से रकबा 3.07 तीन बीघा सात बिस्वा भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल संख्या 124/2006 दिनांक 17.02.2006 को आवंटित की गई, भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त/खारिज करने का आदेश पारित किया जावे ।

वकील विपक्षीगण ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि श्री मानीया पिता पांचा मीणा को दिनांक– 28–12–75 को जिस भूमि का आवंटन किया गया था उसमे आवंटन कमेटी की जो प्रकीया पूर्ण होनी चाहिये थी यानि आवंटन सलाहकार कमेटी मे जो सदस्य होने चाहिये थे वो नही होने के बावजूद, भूमि का आवंटन कर दिया गया जो नियमो के विपरीत है । वर्ष 2006 मे अप्रार्थीगण को दिनांक– 17–2–2006 को भूमि का आवंटन होने पर उसी दिन भूमि पर काबिज होने का प्रार्थीगण दावा करते है । अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन वर्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

2006 मे हुआ है । उसी दिनांक– 17–2–2006 को प्रार्थीया भूलकी को भी 0.18 अठारह बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, यानि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का आवंटन के समय प्रार्थीया स्वंय आवंटन के केम्प मे उपस्थित थी तो उसी दिन आपत्ति नही करते हुए, अप्रार्थीगण को आवंटन की गई भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु अब इतनी लम्बी अवधि गुजर जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य ही नही है । माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर द्वारा भी प्रकरण संख्या–01/2014 (डूँगरपुर ऑर्डर) मे पारित आदेश दिनांक– 09–02–16 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 07–02–2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई की जाकर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने के आदेश पारित किये गये है । अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त/खारीज करते हुए अप्रार्थीगण संख्या– 1 व 2 के पक्ष मे मौजा पाडी की आराजी नम्बर 102 में से रकबा 3.07 तीन बीघा सात बिस्वा भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल संख्या 124/2006 दिनांक 17.02.2006 को आवंटित की गई, भूमि का आवंटन आदेश को यथावत/बहाल रखने का आदेश पारित किया जावे ।

पत्रावली के साथ संलग्न उभय पक्षो की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षो के अभिभाषकगण की ओर से बहस मे दी गई दलीलो पर तथा उनकी ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो पर घोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है, कि यहां पर यह विचारणीय बिन्दु है, कि मानीया को आवंटित भूमि के वक्त आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नही होकर के आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर नही है । मानीया का आवंटन वर्ष 1975 का होना प्रकट होता है । आवंटन वर्ष 1975 के पश्चात इस न्यायालय मे वर्ष 2012 मे आवेदन प्रस्तुत होने तक राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद क्यों नही हुआ , इस सम्बन्ध मे कोई तथ्य/रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है । परन्तु प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1975 से लेकर वर्ष 2012 तक अर्थात 37 वर्षो तक उक्त आवंटन पर निष्क्रिय रहना उक्त आवंटन को प्रमाणित होने को संदिग्ध करता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड के अनुसार विपक्षीगण सं0 1 व 2 को आराजी नम्बर 102 मे से तीन बीघा, सात बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक– 17–02–2006 को आवंटन समिति द्वारा किया गया है, एवं इसी दिनांक को प्रार्थीया श्रीमति भूलकी को इसी आराजी मे से 0.18 अठारह बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, कि मानीया को किया गया तथाकथित आवंटन साढे तीन बीघा भूमि व वर्तमान मे वर्ष 2006 मे प्रार्थीया एवं विपक्षीगण सं0 1 व 2 को किया गया है उसका कोई सहसम्बन्ध नही है ।

पत्रावली के साथ संलग्न संवत 2028 से 2048 तक की खसरा गिरादावरी के अवलोकन से मोजा पाडी की आराजी नम्बर 102 बडा रकबा था जिससे यह स्पष्ट रूप से नही कहां जा सकता कि प्रार्थीगण के पूर्वज मानीया को आराजी नम्बर 102 मे से ही साढे तीन बीघा भूमि का आवंटन विपक्षीगण सं0 1 व 2 को किया गया हों । विपक्षी नाथू द्वारा आराजी नम्बर 102 मे नाजायज कब्जे के सम्बन्ध मे जमा कराई गई राशि की विभिन्न रसीदे पेश की गई है, जिसमे वर्ष 2000 से 2004 तक उक्त आराजी पर उसका दो बीघा भूमि पर कब्जा होना धारा–91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत नोटिसो से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है । अर्थात आराजी नम्बर 102 मे विपक्षीगण का आवंटन से पूर्व नाजायज कब्जा था तो फिर यह मानना कि प्रार्थीगण के पूर्वज मानीया को वर्ष 1975 मे आराजी नंबर 102 मे से किया गया साढे तीन बीघा भूमि का आवंटन ही वर्तमान विपक्षी/अपीलान्टगण को किया गया है, किसी प्रकार से पेश शुदा साक्ष्यों से मिलान नही करता है। इसके अलावा दिनांक 17.02.2006 को प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी नंबर 102 मे से उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन हुई है, लेकिन प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के संबंध मे आवंटन के समय केम्प मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का मानीया को आवंटित की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए काबिले खारीज होने से खारीज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

किया जाता है एवं आप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे मौजा पाडी की आराजी नम्बर 102 में से रकबा 3.07 (तीन बीघा सात बिस्वा) भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल संख्या 124/2006 दिनांक 17.02.2006 को आवंटित की गई, भूमि का आवंटन आदेश को यथावत/बहाल रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर